

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं०- 139/2016-17

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं कारवाई से संबंधित।

तिथि

आदेश फलक

अभ्युक्ति

9-11-22

Covid-19 के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तनान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण की कार्रवाई पुनः शुरू करें।

अभिलेख दिनांक 8.12.2022 को उपस्थापित करें।


09/11/22
अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

8.12.22

अभिलेख उपस्थापित।

झारखण्ड सरकार के झापाक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सह-पठित -श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू- अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं०-3 खा०ग०नि० 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र रा०- 914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०, दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म अनाबाद) की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्रारंभ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमि:-

मीजा जगदीश थाना नं० 34 खाता सं० 21 प्लॉट सं० 562
रकबा 0.64 एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म अनाबाद
अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द सं० 1 के पृष्ठ सं० 54 पर जमाबंदी रैयत गुच्छन मुंझा
पिता कैलाश मुंझा के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर / सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं

उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत राक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 24.12.2022 को उपस्थापित करें।


08/12/22

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

અભિલેખ સ્થાપિત ।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में झारखण्ड सुप्रीम कोर्ट की 6124
नियति 4241/2012 - 165994, लखान खीड़ 98 - 2011-12
का समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 15.1.2022 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

અભિલેખ ઉપસ્થાપિત

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा...

मीरवाड़ी मौजा नं० ३०७ खाता सं०-२१ प्लॉट सं०-५६२
रकबा ०.६५ किस्म ~~जमाबंदी~~ खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते
की भूमि है। मांगधारी रैयत/ वंशज के द्वारा दिनांक ०१/०१/१९४६ के पूर्व का ठोस राजस्व
कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि उक्त प्लॉट का किस्म ~~जमाबंदी~~ दर्ज है, अतः
जमाबंदी को नियमितिकरण नहीं किया जा सकती है। उक्त के आलोक में अवैध जमाबंदीदार
जुधय सुईया, पिता के देवा सुईया — के नाम से पंजी-॥ में कायम
जमाबंदी सं० ५५/१ को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं०...54/2..... को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तारपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।


07/02/23

अंचल अधिकारी
छत्तारपुर।

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - मलखु एवं छतरपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
<u>बृधन मुंडिया</u>	<u>भीखरी</u>	<u>307</u>	<u>21</u>	<u>562</u>	<u>0.64</u>	<u>गैरमजबूती</u>	<u>जंगल</u>
<u>डॉ० कैला मुंडिया</u>						<u>ग्राहिक</u>	<u>खात</u>

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- पत्त

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- पंजी-II में आधारित वर्ष दर्ज नहीं है

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मों का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

पंजी-II में विवरण दर्ज नहीं है।

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :- NA

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिवारित, सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

आरक्षित भूदान पर कलक के 14/3/5 16/3/34

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/-रुपये से कम या इससे अधिक) :-

अवैध जमाबंदी की जाँच किया राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा चाखिल रिटर्न से :- *नहीं*

(ख) अंचल / अनुमंडल में स्थापित बंदोबस्ती पंजी से :- *नहीं*

(ग) चाखिल-खारिज / भू-उत्पत्तांतरण / नामांतरण पंजी से :- *नहीं*

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1948 के पूर्व से कायम है :- *नहीं*

(ख) क्या दिनांक-01.01.1948 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :- *नहीं*

11. क्या दिनांक-01.01.1948 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत है? :- *नहीं*

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड - बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :- *नहीं*

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :- *प्रतिवेदन शुद्ध मौजा - श्रीवही के जमा 21 दस्ता 56 है 2321-0-64 का जमा पंजी-11 के पृ.सं. 54/1 पर सुधर बुझारत SPD के जमा से दर्ज है। मालिकारी को शुद्ध झारखण्ड बुझारत पंजी के पंजी के पृ.सं. 165994 द्वारा प्राप्त है, परंतु जमाबंदी के पंजी के पृ.सं. 54/1 पर सुधर बुझारत SPD/DCUR द्वारा समुचित नहीं है। शुद्ध जमीनदारी मालिकारी के पंजी के पृ.सं. 165994 द्वारा प्राप्त है। मालिकारी का शुद्ध पंजी पर दखल कब्जा स्पष्ट नहीं है। अतः जमा अवैध प्रतीत होता है। अतः अतिरिक्त नोटबर्क हेतु जाँच प्रतिवेदन सादर समर्पित।*

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन जाँच प्रतिवेदन का जाँच किया गया, सही पाया। अतः उपरोक्त जमाबंदी को उद्घटन करने की अनुशंसा किया जाता है।


अंचल अधिकारी,

छत्तरपुर।

भूमि-सुधार उप समाहर्ता,
छत्तरपुर।

अनुमंडल पदा.,
छत्तरपुर।

अपर समाहर्ता,
पलामू।

उपायुक्त,
पलामू।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- बुधन शुभा 5/0 कैशा शुभा
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या 01 पृष्ठ सं: 54 पर कायम है।

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खसरा सं.	रकबा
<u>शीवदी</u>	<u>307</u>	<u>21</u>	<u>562</u>	<u>0.64</u>

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- पंजी-11 से वर्ष पूर्व नहीं है,
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- बैरगजरा मालिक
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- पंजी-11 से अस्पष्ट विवरण नहीं है
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

NA

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :-
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)
:- वर्तमान मौज पंजी-11 है

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष

कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

आद अभिलेख सं० 137 / 2016-17 (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम बुधन अईगां

पिता - वैशा अईगां

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा अरकरी थाना नं० 37 खाता सं० 21 खेसरा नं० 562 रकबा 64 से संबंधित आपके नाम से ह० नं० 5 के पंजी-II भाग के पृष्ठ 54 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जानें

शमू अईगां



अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।

7061088838